Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-818/MRLY/26/2023-SSW** दिनांक: 24.03.2023

सेवा में,

श्री सुधीर कुमार गुप्ता
महा प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेलवे
जबलपुर -482003 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: gm@wcr.railnet.gov.in

विषय: पश्चिम मध्य रेलवे में अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण नियमों का पालन न करने के संबंध में - मंडल सचिव, ऑल इंडिया एस.सी एवं एस.टी रेलवे इंम्लाईज एसोसिएसन, जबलपुर का दिनांक 14.09.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **मंडल सचिव, ऑल इंडिया एस.सी एवं एस.टी रेलवे इंम्लाईज एसोसिएसन** से दिनांक 14.09.2022 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

20/3/23

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. Shri Sanjay Ghule,
   Divi. Secretary,
   All India SCs & STs Railway Employees Association,
   Division Executive Committee,
   West Central Railway, Jabalpur Division,
   Jabalpur-482001
   (Madhya Pradesh)
   (Mob No. 9752497467)
2. NIC, NCST (please upload on the website)